फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री चन्द्रकानत | **विपक्षी : श्री लालाराम**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 87/23**

जीसीएमएस : 2023/369

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा मुख्तार जारी की गई

दिनांक : 14.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा गढवाडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 443 रकबा 0.0243 हेक्टेयर आ.चा. एवं खाता संख्या 68 पर दर्ज आराजी नम्बर 2538/455, 421, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 439, 440, 441, 449, 450 किता 16 कुल रकबा 2.4039 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण वर्तमान में खातेदार नहीं हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी करने से प्रार्थी विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। विपक्षीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2003 की प्रति पेश कर वादग्रस्त भूमि को छोगालाल से क्रय करना बताया हैं। भूमि वर्तमान में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण उक्त भूमि में निर्माण कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर मेरिट पर तय किये जावेगें। अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गढवाडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 443 रकबा 0.0243 हेक्टेयर आ.चा. एवं खाता संख्या 68 पर दर्ज आराजी नम्बर 2538/455, 421, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 439, 440, 441, 449, 450 किता 16 कुल रकबा 2.4039 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:08 IST
Reason: SelfAttested